न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 94 सन् 2007
पंजीयन दिनांक 22.05.2007

श्रीलाल पिता कालु जाति मीणा निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
2. अम्बालाल पिता कालु जाति मीणा निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
3. कमली पुत्री कालु जाति मीणा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. श्यामु पुत्री कालु पत्नि बापुलाल जाति मीणा निवासी पीपलिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. गंगा पुत्री कालु पत्नि रामसिंह जाति मीणा निवासी पीपलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. वरदीचंद पिता नारायण जाति आंजना निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
7. भेरूलाल पिता नारायण जाति आंजना निवासी बसेडा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
प्रकरण संख्या 10/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2007

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं.1
3. खुमराज कुमावत–रेस्पोडेन्ट सं. 6

निर्णय **दिनांक 30.09.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि कालु ने अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 841 मौजा बसेडा तहसील छोटीसादडी का हस्तान्तरण रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 को कर दिया जो धारा 42 के विपरीत होकर कब्जा सरकार दिलाया जावे। वाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र को वाद मे तब्दील किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से पटवारी हल्का मिश्रीलाल तथा प्रतिवादी कालु वरदीचंद एवं गवाह पृथ्वीराज के बयान लिये गये उसके बाद बरोज पेशी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 19.09.1977 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली करते हुए बहस सुनी जाकर दिनांक 19.09.1977 को ही प्रार्थना पत्र/वादपत्र डिक्री कर दिया गया जिसके विरूद्ध मृतक प्रतिवादी सं. 1 कालु ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 03.03.1978 को स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विक्रय पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 19.09.1977 की अवश्य पेश की गई परन्तु उसी दिन बिना गवाह के बयान लिये निर्णय व डिक्री पारित की जो कार्यवाही अनियमित रूप से की गई जिससे रेस्पोडेन्ट वादी व प्रतिवादी को शदाहत सबूत दुबारा पेश करने का अवसर दिया जाकर तनकीवार निर्णय दिया जावे। उक्त निर्णय व आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा भी यथावत रखा गया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.1978 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेशी दिनांक 28.08.1978 नियत की गई। कोई कार्यवाही नही की गई ओर पुनः दिनांक 14.07.1987 को पत्रावली दर्ज की गई। दोराने कार्यवाही अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी सं.1 कालु की मृत्यु हो जाने से कालु के वारिसान का नाम कायम किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को शहादत पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु कोई गवाह पेश नही किया गया और विक्रय पत्र को बिना प्रदर्श कराये डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी सं. 1 के वारिस अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1/2 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे माननीय न्यायालय हाजा से पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई। जिसमे उभयपक्षो की पुनः साक्ष्य लिवाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से न तो गवाह पेश हुए न ही असल विक्रय पत्र दिनांक 24.04.1972 को प्रदर्शित ही करवाया गया। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना विक्रय पत्र को प्रदर्शित हुए जो साक्ष्य मे पढा ही जा नही सकता है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन होना मानते हुए निर्णय पारित किया है। उक्त पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ व बयान कराये गये जिसमे स्पष्ट किया गया है कि उक्त कृषि आराजीयात से रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 का किसी प्रकार से कोई सम्मन सरोकार नही है न ही उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 ने क्रय की है। न ही रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 का उक्त आराजीयात पर कब्जा है। नवीन आराजी नम्बर 841

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रकबा 2 बीघा 19 विस्वा पूर्व मे कालु मीणा के नाम व कब्जे मे थी व वर्तमान मे कालु के वारिसान अम्बालाल श्रीलाल के कब्जे मे चली आ रही है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे विक्रय पत्र कही प्रदर्शित नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रतिप्रेषित आदेश के पश्चात् बिना साक्ष्य व सबूत के धारा 42 का उल्लघंन मानते हुए जो निर्णय व डिक्री पारित की गई उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे अंकित किया कि विवादित कृषि आराजीयात कालु के खातेदारी की थी व कालु ने पंजीकृत बहनामे से उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 को विक्रय की है। वादपत्र मे पटवारी हल्का की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 प्रतिवादी ने जवाबदावा अस्वीकारोक्ति का प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थना पत्र वादपत्र मे दर्ज किया जाकर रिमाण्ड आदेश की पूर्ण पालना करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र पूर्णतया प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा वादपत्र डिक्री किया गया है। अपीलान्ट तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कराना चाहता है। जबकि अपीलान्ट के पिता उक्त कृषि आराजीयात पंजीकृत बहनामे से विक्रय की है जिससे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्टतया उल्लंघन हुआ है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुरूप होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत नही होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1/2 की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया व वादपत्र के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत की व बहनामे की फोटोप्रति प्रस्तुत की जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे मे यह कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी सं. 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 6 व 7 का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। विवादित आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 841 है जिसके साबिक आराजी नम्बर 769 मिलान क्षैत्रफल मे अंकित है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमे नवीन आराजी नम्बर 298 अंकित किये है व साबिक आराजी नम्बर 769 अंकित किये है। उक्त पटवारी रिपोर्ट नवीन आराजी नम्बर 841 से मेल नही खाती है व पंजीकृत बहनामे मे साबिक आराजी नम्बर का कोई अंकन नही होकर आराजी नम्बर 841 अंकित है जो एक दुसरे के कथनो से विरोधाभासी प्रतीत होते है। व इस न्यायालय के प्रतिप्रेषित आदेश के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से न तो बयान करवाये गये न ही विक्रय पत्र को प्रदर्शित करवाया गया। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पाया जाता है। जो न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1/2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1/2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 10/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2007 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विक्रय पत्र को प्रदर्शित कराया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट ली जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.11.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यावाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)